संख्या : 114 /I/2010-03(08)/16/2008

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 15 जनवरी, 2010

विषय :- नागलिंग लघु जल विद्युत परियोजना, क्षमता 50 किलोवाट, जनपद पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश सं0-4196/I/2007-03/(03)/2/06 दि0-08-01-08 को क्रम में उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3015/उरेडा/4(1)/221/नागलिंग/2007 दि0-12-03-08, पत्र सं0-228/उरेडा/4(1)-221/नागलिंग/2008 दि0-05-05-08, पत्र सं0-598/उरेडा/4(1)/135 ग्रा0 स0-3/2006 दि0-25-06-08, पत्र सं0-336/उरेडा/4(1)/135ग्रा0स0/2005 दि0 14-05-09 एवं पत्र सं0-2330/उरेडा/4(1)/135 ग्रा0स0/2001 दि0 27-11-09 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागलिंग लघु जल विद्युत परियोजना हेतु आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12-03-2008 द्वारा कुल आगणित धनराशि रु0 160.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमन्य औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 115.45 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं :-

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2

8. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।

8. निर्माण सामग्री का उपयोग लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय केन्द्रांश, लाभार्थी अंश का उपयोग करते हुये राज्यांश के सापेक्ष व्यय वहन चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अर्न्तगत अंशपोषित योजनायें 01–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता शीर्षक/मद के अन्तर्गत किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–871 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या 114 /I/2010-03/(08)/16/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव